

UPSC & ALL STATE PCS EXAM



DAILY CURRENT AFFAIRS

30 NOVEMBER 2024

- ◆ 55वाँ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न
- ◆ सोशल मीडिया और लोकतंत्र
- ◆ काजीरंगा में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन
- ◆ यमान्दु ओसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए
- ◆ उपासना अधिनियम ✓
- ◆ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

● LIVE 8:00 AM

Er. Ravi Mohan Sharma Sir





55वाँ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न

चर्चा में क्यों?

- आईएफएफआई 2024, गोवा में आयोजित 55वाँ संस्करण, "यंग फिल्ममेकर्स - द फ्यूचर इज नाउ" थीम पर केंद्रित है, जिसमें 101 देशों की 180+ फिल्मों, नई श्रेणियों, पुरस्कारों और वैश्विक सिनेमा-भारतीय सहयोग का उत्सव मनाया गया।



स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स



55वाँ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न

प्रमुख बिंदु:

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, NFDC और ESG के संयुक्त प्रयासों से गोवा में 20-28 नवंबर के बीच 55वाँ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) आयोजित हुआ।
- थीम: "यंग फिल्ममेकर्स – द फ्यूचर इज नाउ"।



55वाँ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न

प्रमुख बिंदु:

- "क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो" पहल के तहत 100 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।
- बेस्ट इंडियन डेब्यू डायरेक्टर के लिए नया पुरस्कार शुरू किया गया।
- पहली बार महोत्सव की संरचना और आयोजन फिल्म उद्योग के नेतृत्व में हुआ।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स



55वाँ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न

प्रमुख बिंदु:

- 101 देशों से 1,676 प्रस्तुतियों में से 180+ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन।
- उद्घाटन फिल्म: माइकल ग्रेसी की "बेटर मैन" (पॉप स्टार रॉबी विलियम्स के जीवन पर आधारित)।
- ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश चुना गया; विशेष फिल्म पैकेज और सहभागिता।



55वाँ भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न

प्रमुख बिंदु:

- चार नई अंतरराष्ट्रीय प्रोग्रामिंग श्रेणियाँ पेश की गईं, जैसे राइजिंग स्टार्स और मिशन लाइफ।
- दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार का आयोजन, जिसमें 350+ फिल्म परियोजनाओं का प्रदर्शन।

[फिलिप नॉथल]
↓
[शान्ति रे लाइफटाइम
अचीवमेंट पुरस्कार]

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में

- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) की स्थापना 1952 में हुई।
- हर साल गोवा में आयोजित होता है और इसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव माना जाता है।
- उद्देश्य: वैश्विक और भारतीय सिनेमा के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और उभरते फिल्म निमाताओं को प्रोत्साहित करना।



भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में

- आयोजक: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा (ESG)।

प्रमुख पुरस्कार:

- गोल्डन पीकॉक (सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए)
- सिल्वर पीकॉक (सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अन्य श्रेणियों में)
- सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड



भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में

- भारतीय पैनोरमा, जिसमें भारतीय फीचर और गैर-फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है।


महत्व:

- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का संगम।
- भारतीय फिल्म उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- युवा और उभरते फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा और अवसर।




राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के बारे में:

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) की स्थापना 1975 में एक सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के रूप में हुई।
- इसका उद्देश्य फीचर फिल्मों का वित्तपोषण, निर्माण और वितरण करना और मुख्यधारा से बाहर के फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देना था।



राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के बारे में:

- 2018 में नीति आयोग ने इसे घाटे में चल रही संपत्ति घोषित किया और संसद में इसके बंद होने का प्रस्ताव रखा।
- हालांकि, अन्य निकायों को अब NFDC के साथ विलय कर इसे "अंब्रेला संगठन" का दर्जा दिया गया है।
- यह अब 4 मुख्य विभागीय श्रेणियों के अंतर्गत संस्थानों को समन्वित करता है।



महत्वपूर्ण तथ्य

IFFI 2024 - आयोजन स्थल - गोवा

NFDC → स्थापना - 1975

संस्करण - 55वाँ

थीम - यंग फिल्ममेकर द फ्यूचर इज नाउ

उद्घाटन फिल्म - वेटर मैन

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव → (IFFI)

स्थापना - 1952

पुलिनर्ष आयोजन - गोवा



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

- असम के काजीरंगा में आयोजित 12वें आईटीएम ने पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता, पर्यटन क्षमता, और पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा दिया। 30 देशों के प्रतिनिधियों और भारतीय पर्यटन हितधारकों ने इसमें भाग लेकर क्षेत्र की संभावनाओं को उजागर किया।



स्रोत: पीआईबी



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का उद्घाटन किया, जिसमें असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।
- 26 से 29 नवंबर, 2024 तक असम के काजीरंगा में आईटीएम का आयोजन किया जाएगा।



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

प्रमुख बिंदु:

- आयोजन ने पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, जैव विविधता और पर्यटन संभावनाओं पर जोर दिया।
- यह आयोजन काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने की 50वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है।



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक कौशल की कई उपलब्धियों का जश्न है। इस साल जुलाई में, 'चराइदेव के मोइदम' को भारत के 43 वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था।



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

प्रमुख बिंदु:

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र पिछले 10 वर्षों में 400 वर्ग किमी से बढ़कर 1,300 वर्ग किमी हुआ।
- असम पर केंद्रित "गुवाहाटी एंड अराउंड" नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी हुआ।



Daily Current Affairs

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

प्रमुख बिंदु:

- आईटीएम ने पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई गतिविधियों का आयोजन किया।



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

प्रमुख बिंदु:

- 30 देशों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और 101 भारतीय विक्रेताओं ने इसमें भाग लिया।
- बी2बी और बी2जी सत्रों के माध्यम से सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा दिया गया।

Business to Business
Business to Govt.



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

प्रमुख बिंदु:

- आयोजन में पर्यटन मंत्रालय की "ट्रैवल फॉर लाइफ" पहल के तहत स्थिरता को प्रोत्साहित किया गया।
- इस कार्यक्रम ने पूर्वोत्तर को विशाल पर्यटन क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मंच प्रदान किया।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

सिफाणु

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में, देश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है।
- यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र में सबसे बड़ा और अप्रभावित प्रतिनिधि क्षेत्र है।
- 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।



काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

नदियाँ


- ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी डिफालू उद्यान के मुख्य क्षेत्र (कोर/टाइगर क्रिटिकल हैबिटेट) से होकर गुजरती है।
- मोराडिफालू नामक दूसरी सहायक नदी इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है।



काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

भू-भाग

- घने जंगल, ऊंची हाथी घास, कठोर नरकट, दलदल और उथले जलाशय इसके भू-भाग को परिभाषित करते हैं।



काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

वनस्पति

- यहां मुख्य रूप से ऊंची हाथी घास और छोटे दलदल पाए जाते हैं।
- जल लिली, जलकुंभी, कमल और रत्न केज (एक प्रकार का चढ़ने वाला ताड़) यहां की विशिष्ट वनस्पतियां हैं।



काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

जीव-जंतु

- एक सींग वाले गैंडों की विश्व की सबसे बड़ी आबादी यहीं निवास करती है।
- बाघ, पूर्वी दलदली हिरण, टायली भैंस, हूलॉक गिबन, कैण्ड लंगूर, और गंगा नदी डॉल्फिन जैसी कई विलुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां यहां पाई जाती हैं।



5-6
करोड़

सोकर-वधक



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

चराइदेव के मोइदम के बारे में:

- चराइदेव, असम के शिवसागर जिले में स्थित है, जिसे अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी के रूप में जाना जाता है।
- मोइदम असम के अहोम साम्राज्य के राजाओं और शाही परिवारों की समाधि स्थलों (मकबरों) का एक समूह है।



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

चराइदेव के मोइदम के बारे में:

- यह स्थल अहोम संस्कृति, परंपराओं और वास्तुकला का प्रतीक है। मोइदम को "असम का पिरामिड" भी कहा जाता है।
- अहोम साम्राज्य: 13वीं से 19वीं शताब्दी तक शासन करने वाले अहोम राजवंश ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को समृद्ध किया।

note



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

चराइदेव के मोइदम के बारे में:

- यूनेस्को विश्व धरोहर: जुलाई 2024 में, 'चराइदेव के मोइदम' को भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई।



केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया

चराइदेव के मोइदम के बारे में:

विशेषताएं:

- मकबरों का निर्माण मिट्टी और ईंटों से किया गया है।
- इनके शिखर बांस और गेरू मिट्टी से बने हैं।
- इन मकबरों में दफन प्राचीन वस्त्र, शाही वस्तुएं और अन्य कलाकृतियां हैं।

काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रार्थ के 12वें संस्करण का आयोजन

उद्घाटन कर्ता - केन्द्रीय मंत्री - गजेन्द्र सिंह शेखावत	एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध
कब से कब तक - 26-29 नवंबर तक	1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल
असम के - चराहेदेव मोहम्मद को 43 वाँ	अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान { 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित 2007 - लाइव रिजर्व घोषित	मोहम्मद को असम का पिराहित कहा जाता है असम की प्रथमपुत्र धरती के 1228 ई.पू. अहोम साम्राज्य की स्थापना हुई थी 60 वर्षों

- साम्राज्य की स्थापना - 13 वीं शताब्दी में

- चाओलुंग सुकुफा स्थापना की

आहोम साम्राज्य
का सेनापति

(लाचित बोडुकन)

- 1671 में उत्तिह

- साराधार का युद्ध





यमान्दु ओर्सी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए

चर्चा में क्यों?

- नवंबर 2024 में उरुग्वे में यामांडू ओरसी राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने समावेशी नेतृत्व और व्यापार-हितैषी दृष्टिकोण के साथ चुनाव जीता, जो पश्चिमी गोलार्ध के अन्य देशों की विभाजनकारी प्रवृत्तियों के विपरीत है।



स्रोत: पीआईबी



Daily Current Affairs

यमान्दु ओर्सी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए

प्रमुख बिंदु:

- नवंबर 2024 में, वामपंथी यामांडू ओरसी ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में जीत दर्ज की, अल्वारो डेलगाडो को हराया।
- ओरसी ने व्यापार-हितैषी रुख अपनाते हुए कर वृद्धि से बचने का वादा किया।
- जीत के बाद, उन्होंने सभी उरुग्वेवासियों का राष्ट्रपति बनने और राष्ट्रीय संवाद पर जोर दिया।

स्रोत: पीआईबी



यमान्दु ओर्सी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए

प्रमुख बिंदु:

- उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता के साथ एक अधिक समावेशी देश बनाने का संकल्प लिया।
- यह चुनाव उरुग्वे में बिना गहरे विभाजन के संपन्न हुआ, जो अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों के विपरीत है।

उरुग्वे के बारे में

- उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, जो अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। यह अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच स्थित है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- राजधानी: मोंटेवीडियो
- आधिकारिक भाषा: स्पेनिश
- मुख्य धर्म: ईसाई (मुख्यतः कैथोलिक)
- जनसंख्या: लगभग 3.5 मिलियन (2024)

मरिजुअना

भांग

2012

उरुग्वे पेसो - मुद्रा

कैथोलिक (ईसाई)

राजधानी

मोंटेवीडियो

भाषा - स्पेनिश



उरुग्वे के बारे में

- राजनीतिक व्यवस्था: लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्रपति के नेतृत्व में,
- मुद्रा: उरुग्वे पेसो (UYU)
- उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और सेवाओं पर आधारित है।
- यह दुनिया के पहले देशों में से एक है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी और 2013 में इसे वैध किया।
- उरुग्वे ने 2012 में कानूनी तौर पर मारिजुआना के सेवन और बिक्री को वैध किया।



उरुग्वे के बारे में

- देश में उच्च जीवन स्तर, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जो इसे लैटिन अमेरिका के सबसे विकसित देशों में से एक बनाती हैं।
- यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल मोंटेवीडियो, पंटा डेल एस्ते और कोलोनिया डेल साकरामेंटो हैं, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।





उपासना स्थल अधिनियम, 1991

(1991) - पी.वी. नरसिम्हाराव

- संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश करने के बाद मस्जिद में कराए जा रहे दूसरे चरण के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत और कई पुलिस व प्रशासन के लोगों के घायल होने पर हालत बिगड़ गए थे। स्थिति बेहद तनाव पूर्ण हो गई थी।





उपासना स्थल अधिनियम, 1991

- Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991
भारत में धार्मिक स्थलों की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 तक स्थापित थे। इसके तहत धार्मिक स्थलों के रूप में कोई भी बदलाव या विवाद नहीं किया जा सकता और किसी भी धार्मिक स्थल को राजनीतिक उद्देश्य से बदलने पर प्रतिबंध है।



उपासना स्थल अधिनियम, 1991

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के प्रमुख प्रावधान:

उद्देश्य:

- 15 अगस्त, 1947 को जिस रूप में उपासना स्थल था, उसका धार्मिक स्वरूप वैसा ही बनाए रखने का उद्देश्य।
- यह अधिनियम पूजा स्थलों के कथित ऐतिहासिक 'रूपांतरण' से उत्पन्न विवादों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था।



उपासना स्थल अधिनियम, 1991

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के प्रमुख प्रावधान:

धारा 3:

- किसी पूजा स्थल को किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर रोक।
- किसी ही धार्मिक संप्रदाय के अन्य हिस्से के पूजा स्थल को बदलने पर भी रोक।



उपासना स्थल अधिनियम, 1991

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के प्रमुख प्रावधान:

धारा 4(1):

- 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था, वही बनाए रखा जाएगा।

धारा 4(2):

- 15 अगस्त, 1947 के बाद हुए रूपांतरण से संबंधित किसी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही को समाप्त किया जाएगा, और कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।



उपासना स्थल अधिनियम, 1991

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के प्रमुख प्रावधान:

धारा 5:

- इस अधिनियम का प्रावधान राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा।

धारा 6:

- अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान।



उपासना स्थल अधिनियम, 1991

अधिनियम के लागू न होने की स्थिति:


- यह अधिनियम प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 से संरक्षित पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होता।
- यदि कोई वाद इस अधिनियम के लागू होने से पहले निपट चुका हो, तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा।
- यदि कोई विवाद आपसी सहमति से हल हो चुका हो, तो यह अधिनियम उस पर भी लागू नहीं होगा।



उपासना स्थल अधिनियम, 1991

अधिनियम के लागू न होने की स्थिति:

- मई 2022 में न्यायमूर्ति डी. य. चंद्रचूड़ ने कहा था कि 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के तहत धार्मिक स्थल की प्रकृति बदलने पर रोक है, लेकिन किसी स्थल के धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है।





उपासना स्थल अधिनियम, 1991

अधिनियम के लागू न होने की स्थिति:

- इसका मतलब है कि 15 अगस्त, 1947 को पूजा स्थल की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है, हालांकि उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
- मथुरा और ज्ञानवापी के मामलों में मस्जिद पक्ष ने उपासना स्थल अधिनियम की इस व्याख्या को चुनौती दी है।



राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

चर्चा में क्यों?


- हाल के वर्षों में जम्मू में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जबकि कश्मीर घाटी में सुरक्षाबलों की कार्रवाई से आतंकवाद पर काबू पाया गया है। इस वजह से, पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जम्मू को निशाना बनाया है। इसे देखते हुए, केंद्र सरकार ने जम्मू में NSG इकाई की तैनाती का निर्णय लिया है।

✓ (1994) → ऑपरेशन 08
सिंडरवाला रत्न



राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में


- नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) भारत की एक विशेष बल है, जिसका मुख्य कार्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल होना है।
- इसे देश की रक्षा के लिए दूसरी पंक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- NSG के सदस्यों को "ब्लैक कैट्स" कहा जाता है, क्योंकि वे काले रंग के ड्रील कॉटन कवर्ऑल और बैलाक्लावा या हेलमेट पहनते हैं।



राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में

स्थापना

- यह 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्थापित किया गया।
- इसे भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा स्थापित किया गया।
- यह UK के SAS और जर्मनी के GSG-9 के मॉडल पर आधारित है।




राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में

स्थापना

SAH SRH

- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NSG पर प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण किया जाता है।
- ध्येय: 'सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा' नीत्रीनिवासन
- मुख्यालय: नई दिल्ली महानिदेशक
- महानिदेशक (DG): NSG का प्रमुख, जिसे महानिदेशक (DG) कहा जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा चयनित किया जाता है। सभी चयनित DGs भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से होते हैं।



राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में


NSG के मुख्य उद्देश्य

- आतंकवादी खतरों का निष्क्रिय करना ✓✓
- वायु और भूमि में हाइजैकिंग की स्थितियों को संभालना ✓✓
- बम नष्ट करना (IEDs की खोज, पहचान और निष्क्रिय करना) ✓✓
- पोस्ट ब्लास्ट जांच (PBI) ✓✓
- बंधक मुक्ति ✓✓
- VIP सुरक्षा ✓✓



राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में

- इसे विशेष आतंकवाद-रोधी बल के रूप में **"केवल असाधारण परिस्थितियों में"** नियोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है , न कि **"राज्य पुलिस बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के कार्यों को संभालने के लिए।"**
- NSG की टीमों की कार्यप्रणाली तेज और त्वरित हमले और त्वरित वापसी पर आधारित है।



राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में

यह बल दो प्रमुख समूहों में बांटा गया है

1. स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG): सेना के जवानों से बना।
2. स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के जवानों से बना।

NSG का एक राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र (NBDC) भी है, जो भारत और विदेशों में हुई बमबारी गतिविधियों का केंद्रीकृत डेटाबेस रखता है।





सोशल मीडिया और लोकतंत्र

- सोशल मीडिया ने आधुनिक समाज को अभूतपूर्व तरीके से बदल दिया है। यह सूचना प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, जिसने न केवल संचार को तेज और सुलभ बनाया है, बल्कि लोकतंत्र के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- हालांकि, इसके सकारात्मक पहलुओं के साथ ही कई नकारात्मक प्रभाव भी उभरकर सामने आए हैं। सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है।





सोशल मीडिया और लोकतंत्र

सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर प्रभाव

1. लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि

- सोशल मीडिया ने आम नागरिकों को अपनी आवाज उठाने और सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने का सशक्त माध्यम प्रदान किया है।
- 2023 की Pew Research रिपोर्ट के अनुसार, 45% लोग सोशल मीडिया का उपयोग अपनी सरकार को सुझाव देने और अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए करते हैं।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर प्रभाव

1. लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि

- 2024 की शुरुआत तक, भारत में लगभग 462 मिलियन सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता होंगे, जो कुल आबादी का लगभग 32.2% होगा।
- औसतन, भारतीय उपयोगकर्ता प्रतिदिन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो वैश्विक औसत के बराबर है। यह समय मुख्य रूप से मैसेजिंग, ब्राउज़िंग और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सामग्री से जुड़ने में व्यतीत होता है।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर प्रभाव

2. सूचना का तीव्र प्रसार

- सोशल मीडिया ने सूचनाओं को तेज गति से प्रसारित करने की क्षमता प्रदान की है। यह चुनावी अभियानों और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- 2020 में, भारत में 80% राजनीतिक दलों ने अपने अभियान के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग किया।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर प्रभाव

- **3. सीधा संवाद:** राजनेताओं और नागरिकों के बीच संवाद को आसान बनाया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर का प्रभावी उपयोग किया।
- **4. सशक्तिकरण और लामबंदी:** सोशल मीडिया ने नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, आंदोलन संगठित करने और विभिन्न मुद्दों पर समर्थन जुटाने का प्रभावशाली मंच प्रदान किया है।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर प्रभाव

- **5. राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि:** सोशल मीडिया ने आम जनता के लिए राजनीतिक सामग्री से जुड़ना, चर्चाओं में भाग लेना और नेताओं को जवाबदेह ठहराना अधिक सुलभ बना दिया है।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव

1. फेक न्यूज और गलत सूचना

- Alt News के एक अध्ययन में पाया गया कि 2023 में भारत में फैली फेक न्यूज के 70% मामले सोशल मीडिया के माध्यम से फैले।
- फर्जी खबरें न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती हैं।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव

2. जनमत को तोड़-मरोड़ कर पेश करना

- सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं, जो विवादास्पद हो, जिससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है।
- Cambridge Analytica कांड इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए डेटा का दुरुपयोग किया गया।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव

3. हेट स्पीच और ट्रोलिंग

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाली भाषा और ट्रोलिंग की घटनाएं लोकतांत्रिक चर्चा को कमजोर करती हैं।
- एक UNICEF रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 80% युवा ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हुए।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव

4. डेटा की गोपनीयता का उल्लंघन

- सोशल मीडिया कंपनियों पर व्यक्तिगत डेटा के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। यह लोकतंत्र की मूलभूत स्वतंत्रता को खतरा पैदा करता है।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

निष्कर्ष:

- सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जनता को जुड़ने के कई नए अवसर प्रदान किए हैं। हालांकि, फेक न्यूज, डेटा सुरक्षा का उल्लंघन, और नफरत फैलाने वाले कंटेंट जैसी समस्याएं इसकी प्रासंगिकता को चुनौती देती हैं।
- जागरूकता अभियान और सख्त कानूनों के माध्यम से फेक न्यूज और हेट स्पीच को नियंत्रित किया जाए।



सोशल मीडिया और लोकतंत्र

निष्कर्ष:

- सोशल मीडिया कंपनियों को पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। नागरिकों को जिम्मेदार उपयोग और सूचना के स्रोत की जांच के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस तरह, सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए प्रभावी और सकारात्मक उपकरण में बदला जा सकता है।